प्रमाणित फोटो स्टेट प्रतिलिपि 1646 / ...

Form No. III

प्रति-हस्ताक्षर

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत J.M. Marwar मुकाम Marwar Junction

भारतीय मानक ब्यूरो बनाम मैसर्स भैरवनाथ ए.

किस्म मुकदमा Cr.O नम्बर 1646 सन 16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.17	परिवादी अधिवक्ता उप0। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 11 (1) सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप स्वीकार कर क्षमा चाही तथा पृथक से लोक अदालत की भावना से स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर शीघ्र पत्रावली पेश की गई। अतः उपरोक्त अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उक्त अभियुक्तगण को	2000×5 =10000/- (1) 363348 (2) 474709 (3) 698585 (4) 869303 (5) 168386 नकजामिन विमला चौधरी

सत्य-प्रतिलिपि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 11(1) सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में दोषी करार किया जाता है। सजा के बिन्दु पर सुना गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकट किया गया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है, पूर्व में कोई दोषसिद्धि नहीं है, आयन्दा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अतः नरमी का रुख अपनाया जावे। जबकि विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध किया। उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। Naveen Pahu...	

सत्य प्रतिलिपि

ORDER-SHEET-II

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को साधारण कारावास भुगतेंगे। अभियुक्तगण पूर्व दोषसिद्ध नहीं होने बाबत शपथ पत्र न्यायालय में पेश करें।	
	अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।	
	अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत धारा 437(क) दं.प्र.सं. की पालना में 10,000/- रुपये के जमानत मुचलके 6 माह की अवधि के लिए पेश कर तस्दीक करावें।	
	आदेशानुसार जमानत मुचलके ~~निरस्त~~ पेश हुए। बाद जाँच तस्दीक किये गये। शामिल मिसल रहें।	
	आदेशानुसार अभियुक्तगण की ओर से कुल 10,000/- रुपये अर्थदंड के जमा करवाये गये। जो रसीद संख्या ------- दिनांक ----- जमा हुए।	
	पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।	

1646/16

ORDER-SHEET-II

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1646/16	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः अभियुक्त सं. 1 मैसर्स श्री भैरवनाथ फूड एण्ड मिनरल्स खसरा नं. 122 गोपालजी मंदिर के पीछे, जाडन रोड, मारवाड़ जंक्शन, जिला- पाली भागीदार श्रीमती विमला तरूणा चौधरी- 201, प्लाट नं. 27 साधना लिबर्टी गार्डन रोड नम्बर 3 मलाड (वे.) मुम्बई तथा अभियुक्त सं. 2 वजाराम पुत्र गमनाराम, चौधरी, 14 चौधरियों का बास, हेमावास कलां, पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन, पाली को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 11(1) सपठित धारा 33 भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 में दोषसिद्ध किया जाकर प्रत्येक अभियुक्त पर 5000/- रुपये कुल 10,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड प्रत्येक अभियुक्त एक एक माह	